पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

पुनाली

गाँव- पुनाली

पंचायत- पुनाली

तहसील-दोवड़ा, जिला-डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

पुनाली गाँव का परिचय

पुनाली गाँव पुनाली ग्राम पंचायत का मुख्य राजस्व गाँव है, इसकी तहसील डूंगरपुर है। पुनाली गाँव डूंगरपुर जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में बसा हुआ है। पुनाली पंचायत में पांच गाँव है- पुनाली, वाडा पुनाली, नया गाँव पुनाली, पांतली और गेहुवाडा। पुनाली गाँव की सीमा के सबसे नजदीकी गाँव रतनावाडा, पांतली, गेहुवाडा, बीकासोर, कालुगामडा, नया गाँव पुनाली, वाडा पुनाली, रामा, जोगीवाड़ा समोता का ओडा है। पुनाली का सबसे बड़ा फला नागेला फला है।

पुनाली गाँव के शिलालेख का उद्घाटन 10-8-2018 को किया गया और गाँव सभा का गठन भी हो चुका है। गाँव में लोगो को पेसा कानून और उसकी शक्तियों की जानकारी है। गाँव में पेसा कानून को प्रसारित करने और जागरूकता फैलाने में वागड़ मजदूर किसान संगठन के कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। संगठन के द्वारा समय-समय पर पेसा कानून की जागरूकता के लिए अभियान और सम्मलेन किये जाते हैं, जिसमे गाँव के लोग बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पुनाली गाँव में करीब 950 घर हैं। गाँव की आबादी लगभग 4500 है। गाँव में एस. टी. जाति के रोत, परमार, कटारा, अहारी और मनात उप-जाति के लोग निवास करते हैं। गाँव की पूरी जमीन 723 हेक्टेयर है, जिसमें कृषि योग्य जमीन, चारागाह जमीन और जंगल-पहाड़ शामिल हैं। गाँव के चारागाह पर लोगो ने कब्ज़ा कर रखा है और बाड़े बना रखे हैं। गाँव के जंगल पर वन विभाग का कब्ज़ा है। गाँव में 2 बरसाती नाले बहते हैं और 2 तालाब हैं जिसमे से नागेला तालाब बड़ा तालाब है। दूसरा तालाब पुनाली तालाब के नाम से जाना जाता है। पुनाली के जंगल में ज्यादातर बबूल के पेड़ और कटीली झाड़ियाँ हैं। इसके अलावा महुआ, आम, पलाश के पेड़ हैं और घास होती है। वन उपज को गाँव के लोग अपने काम में लेते हैं। पंचायत का मुख्य गाँव होने के कारण स्वास्थ्य केंद्र, पशु-अस्पताल, राशन की दुकान, पोस्ट-ऑफिस और बस स्टैंड पुनाली गाँव में ही है। पंचायत में आर्थिक दृष्टि से सबसे विकसित गाँव भी यही है।

आवागमन की स्थिति

पुनाली गाँव जाने के लिए डूंगरपुर के बस स्टैंड से या टेक्सी स्टैंड से आसपुर जाने वाली बस और जीप नरनिया गाँव के बीच में से होते हुए पुनाली के मुख्य चौराहे पर उतारती है। यहाँ से गाँव में जाने के लिए सवारी ऑटो, जीप मिल जाती है। गाँव में 2 पक्की सड़के हैं। एक सड़क गाँव की सीमा से गुजरती है। दूसरी सड़क गाँव के बीच से होकर गेहुवाडा जाती है। गाँव के भीतर फलों में 5सी.सी. सड़के और 5 कच्ची सड़के हैं। गाँव की मुख्य सड़क से प्राइवेट बस, ऑटो, जीप तथा निजी वाहन दूसरे गाँवों में जाने के लिए मिल जाते हैं। गाँव के लोगों के घर छोटी-छोटी डूंगरीयों पर बसे हैं। घरेलू खरीदारी करने के लिए मुख्य बाजार डूंगरपुर 20 किमी दूर जाना पड़ता है, जहाँ पर सभी प्रकार की घरेलू खरीदारी के अलावा शादी-ब्याह और त्यौहारों की खरीदारी भी की जाती है। गाँव में जाने के लिए सवारी वाहनों का न तो समय तय है और न ही किराया।

शिक्षा की स्थिति

गाँव में 3 प्राथमिक विद्यालय हैं। इस शैक्षणिक वर्ष में इन विद्यालयों में 120 छात्र-छात्राओं का नामांकन हुआ है। दो प्राथमिक विद्यालयों में 2-2 अध्यापक और 1 प्राथमिक विद्यालय में सिर्फ 1 अध्यापक ही नियुक्त है। यही विद्यालय की सभी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। गाँव में एक उच्च

प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें 4 अध्यापक नियुक्त हैं। गाँव में 2 माध्यमिक और 1 उच्च माध्यमिक विद्यालय है। दोनों माध्यमिक विद्यालयों में 8 अध्यापक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 अध्यापक नियुक्त हैं। सभी विद्यालयों में अध्यापकों और अध्यापन कक्षों की कमी है। बरसात के दौरान विद्यालयों की छत से पानी टपकने की समस्या के कारण मरम्मत की आवश्यकता है। विद्यालय में बने हुए शौचालयों की हालत जर्जर है। उनमे पानी की व्यवस्था नहीं है। अध्यापकों की कमी, आवश्यक सुविधाओं के अभाव और शिक्षा के निम्न स्तर के कारण विद्यालयों में बच्चों का नामांकन नहीं होता है। बच्चे अक्सर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। विद्यालयों में पीने के शुद्ध पानी के लिए आर.ओ. नहीं लगा है। स्कूलों में मिड-डे मील पकाने के लिए बने कमरे बहुत ही गंदे हो गये हैं और कमरों की दीवारें कालिख पोती हुई सी लगती हैं। प्राथमिक विद्यालय तक जाने के लिए न तो पक्की सड़क है न ही सी.सी. सड़क बनाई गयी है। बच्चे पगडण्डी के सहारे स्कूल जाते हैं। स्कूल के बाहर लगे हैंडपंप के पानी में फ्लोराइड आता है, लेकिन पीने के शुद्ध पानी का अन्य कोई विकल्प न होने के कारण बच्चे मजबूरन यही पानी पीते हैं। उच्च शिक्षा के लिये गाँव से 22 किमी दूर डूंगरपुर शहर में जाना पड़ता है।

स्वास्थ्य की स्थिति

गाँव में 3 आंगनवाड़िया हैं। तीनों ही जर्जर हालत में हैं और उनके भवन को नया बनाने की आवश्यकता है। गाँव में एक उप-स्वास्थ्य केन्द्र है जिसमे 2 स्टाफ हैं। सरकारी अस्पताल भी पुनाली में ही है। बड़ा सरकारी अस्पताल 22 किमी दूर डूंगरपुर में है। अस्पताल जाने के लिए टेम्पो या 108 एम्बुलेंस की सुविधा है। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए कुछ मरीज उदयपुर या गुजरात भी भेजे जाते हैं। गाँव में पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिये 1 आर.ओ. प्लांट नागेला फले में स्कूल में लगा है।

सरकारी योजनाएँ

गाँव के सभी घरों में बिजली की सुविधा है। गाँव में पेंशन योजना, आवास योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, भामाशाह योजना, उज्ज्वला गैस योजना चलाई जा रही है। गाँव के 800 से अधिक घरों को उज्जवला गैस योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन मिल चुका है। गाँव में सभी को भामाशाह योजना से जोड़ा जा चुका है। भामाशाह कार्ड से लोगों को कम खर्च में मेडिकल सहायता और फ्री दवाईयाँ मिल जाती हैं। जबसे गाँव में उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिले हैं, तब से गाँव में राशन कार्ड पर मिट्टी का तेल देना बन्द कर दिया गया है। कई लोग सिर्फ इस भय से गैस कनेक्शन नहीं ले रहे हैं कि मिट्टी का तेल बंद कर दिया जायेगा और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे लोग दुबारा सिलेण्डर भरवा सकें।

कृषि की स्थिति

गाँव में अधिकतर कृषि जमीन समतल है। जिस पर मुख्यतः धान, गेंहू, मक्का, उड़द और चना की खेती की जाती है। खेती से पैदा किया गया अनाज पूरे साल नहीं चल पाता। यह केवल चार-पाँच माह खाने तक का ही हो पाता है। गाँव में राजपूतों और पटेलों ने अपनी जमीनों को जे.सी.बी. की मदद से समतल करवा लिया है और बोरवेल खुदवा रखे हैं। बोरवेल से सिंचित खेतों में धान और गेंहू उगाये जाते हैं। गाँव में राशन की 1 दुकान है। खेतों में सिंचाई के लिए 2 तालाब, 15 कुएं, 2 एनिकट, 2 नाले और निजी बोरवेल हैं। नागेला तालाब में साल भर पानी रहता है और मोटर से पंप चला कर सिंचाई की जाती है। राशन की दुकान पर गेंहू के अलावा और कुछ भी नहीं दिया जाता है। कभी-कभार शक्कर भी दी जाती है।

सिंचाई की स्थिति

वैसे तो गाँव में जल-संसाधन जैसे- 2 नाले, 2 एनिकट, 2 तालाब, 15 कुएं और निजी बोरवेल हैं लेकिन फिर भी गाँव में पीने के पानी और सिंचाई के पानी का संकट है; क्योंकि भू-जलस्तर काफी नीचे चला गया है। कुएं 100 फीट गहरे हैं, जबकि पानी का जल स्तर 250 फीट नीचे चला गया है। ऐसी स्थिति में केवल बारिश में ही कुओं में पानी रहता है। नालों में भी चेकडैम नहीं होने के कारण पानी जमीन में नीचे जाने के बजाय बह कर निकल जाता है। 2 एनिकट और 2 तालाब हैं। इनमे पानी रहता है, लेकिन एनिकट बाँध की ऊँचाई कम होने के कारण इसका पानी केवल पशुओं के उपयोग में आने लायक ही बच पाता है। 1 तालाब छोटा है, जिसमे बारिश में ही पानी रहता है। सिंचाई के लिए नहर की सुविधा नहीं है। इसके अतिरिक्त मध्य ग्रीष्म ऋतु में सभी जल स्रोतों में पानी कम हो जाता है या अधिकतर सूख जाते हैं। लोगों ने खेतों में ही बोरवेल लगा रखे हैं, जो नाले और नदी के पास ही हैं। बोरवेल से काफी ज्यादा पानी खींच लेने से कुओं में पानी कम हो जाता है। जिससे उन लोगों के सामने पानी का संकट खड़ा हो जाता है, जिनके पास बोरवेल की सुविधा नहीं है।

रोजगार की स्थिति

यहाँ के लोग रोजगार के लिए मनरेगा में काम, खेती और कडिया मजदूरी करते हैं। मनरेगा में गाँव की ज्यादातर महिलायें काम करती हैं, क्योंकि गाँव के युवा रोजगार और बेहतर आजीविका की तलाश में दूसरे शहरों में चले जाते हैं। मनरेगा योजना में 100 दिवस काम मिल जाता है, लेकिन काम की सही नपती नहीं होने के कारण काम का पूरा दाम नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त मस्टररोल में फर्जी नाम भी लिखे जाते हैं। जब मनरेगा का काम नहीं मिलता है तो घर चलाने और रोजगार के लिए गाँव के लोग नजदीक के शहरों में काम करने जाते हैं। काम की तलाश में लोग सुबह जल्दी शहर की मजदूर मंडी में पहुँच जाते हैं, जहाँ से उन्हें कडिया काम मिल जाता है। मजदूर मंडी में भी प्रतिदिन काम मिल जायेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अक्सर उन्हें कोई काम नहीं मिलता है, और खाली जेब वापस घर लौटना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षित युवा उदयपुर, गुजरात में अहमदाबाद, मोडासा, हिम्मतनगर चले जाते हैं, जहाँ वे खेतों में तथा फैक्ट्री में काम करते हैं।

पुनाली गाँव की विभिन्न चिन्हित समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है-

प्राकृतिक संसाधन

पुनाली गाँव में पहले की अपेक्षा अब जंगल की जमीन कम हो गयी है। 30-40 साल जंगल और सभी छोटी-बड़ी पहाड़ियाँ हरी-भरी थीं। जंगल और पहाड़ियों पर नीम, आंवला, गोंद, आम, महुआ के पेड़ थे। इन पेड़ों के फल और सूखी लकड़ियों को बेचकर लोगो की आय भी हो जाती थी। अब वन विभाग के कब्जे में जाने के बाद जंगल उजाड़ हो गया है। अब जंगल में केवल बबूल, कँटीली झाड़ियाँ झाड़िया और घास ही है। जंगल के कुछ हिस्से में सागौन और महुआ के पेड़ बचे हैं। गाँव के लोगों ने अभी तक जंगल पर सामुदायिक दावा नहीं लगाया है। वर्तमान में जंगल का संरक्षण-सुरक्षा गाँव सभा और जंगल विभाग, दोनों मिल कर कर रहे हैं। गाँव में पहाड़ है, लेकिन किसी भी प्रकार के खनिज के मिलने की जानकारी नहीं होने से खनन नहीं किया जाता है। गाँव में 2 नाले और 2 तालाब हैं, लेकिन जल-स्तर नीचे जाने और तेज गर्मी के कारण पानी सूख जाता है। नालों में बारिश के पानी को रोकने के लिए एक भी चेकडैम नहीं

बना है, जिससे धरातलीय जल बिना जमीन में उतरे ही बह कर निकल जाता है। दोनों तालाबों में से एक में ही पानी रहता है। वो पानी भी पशुओ के पीने योग्य ही होता है।

आवागमन की समस्या

पुनाली गाँव में 2 पक्की सड़के हैं। 5 सी.सी. सड़के और 5 कच्ची सड़के हैं। गाँव में सड़कों की कमी है। अधिकतर घरों तक पगडण्डी की मदद से ही जा सकते हैं। गाँव के घर छोटी डूंगरीयों बने हैं। गाँव की सी.सी. सड़कों के किनारे नालियाँ अधूरी हैं या टूट गयी हैं। नालियों में पानी जमा होने से कीचड़ रास्तों पर फ़ैल जाता है। गंदे पानी से संक्रमण फैल रहा है और मच्छरों के कारण मलेरिया के रोगी हैं। गाँव के भीतर फलों में सिर्फ 5 कच्ची सड़के हैं। गाँव की मुख्य सड़क से प्राइवेट बस, ऑटो, जीप तथा निजी वाहन दूसरे गाँवों में जाने के लिए मिल जाते हैं। इन वाहनों के लिए भी घंटो इंतजार करना पड़ जाता है। गाँव के अंदरूनी हिस्से में रहने वाले बीमार, मरीज और गर्भवती महिलाओं को रास्ते के अभाव में समय पर चिकित्सकीय सुविधा ना मिलने से जन-हानि का अंदेशा बना रहता है। सी.सी. सड़को के बनने से कम ऊँचाई की पहाडियों में आसानी से आ-जा सकते हैं, लेकिन पंचायत द्वारा रास्ते कि समस्या को अनदेखा करने से गाँव के लोगो को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाँव के लोग निजी सवारी वाहन चालकों द्वारा मनमाने ढंग से किराया वसूलने से भी परेशान रहते हैं।

भूमि व जल प्रबंधन की कमी

गाँव में लोग कई पीढियों से रह रहे हैं। उनके पूर्वजों ने जंगल में ही अपने घर और खेत बनाये थे और जमीन को खेती के लायक बनाया। पानी के लिए कुओं का निर्माण किया। लोगो ने अपनी जमीन के अधिकार के लिए पहले फाइलें लगाई थी, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी गाँव में अधिकतर लोगों को उनके कब्जे की जमीन के खातेदारी हक और पट्टे नहीं मिले हैं। जिनको मिले हैं, उनके पास भी पूरी जमीन का पट्टा नहीं है। खातेदारी में न्यूनतम कृषि भूमि दो बीघा और अधिकतम पाँच बीघा है। पूरे गाँव की कृषि भूमि ऊबड़-खाबड़ है, जिसका समतलीकरण करने की आवश्यकता है। पानी के अभाव में कृषि बारिश के मौसम पर निर्भर है। जब बारिश अच्छी होती है तो कृषि के लिए पर्याप्त पानी मिल जाता है। लेकिन कम बारिश में असिंचित खेतों में नहरों की कोई व्यवस्था नहीं होने से फसल उत्पादन प्रभावित होता है। सिंचाई के सभी स्रोत नाले, एनिकट, तालाब, कुएं और बोरवेल में से अधिकतर मध्य ग्रीष्म ऋतु तक सूख जाते हैं; या उनमे पानी कम हो जाता है। गाँव में 2 ही तालाब हैं लेकिन कीचड़ भर जाने और गहराई कम होने के कारण साल भर पानी कम रहता है। नागेला तालाब में साल भर पानी रहता है। गाँव में भू-जल स्तर 250 फीट से नीचे है। गाँव में 2 नाले हैं। नालों पर पानी रोकने के लिए चेकडैम नहीं है, जिससे बारिश का पानी बह कर निकल जाता है। गाँव में 15 कुएं हैं, जिनकी गहराई कम है। कुओं में साल के फरवरी-मार्च माह तक पानी खत्म हो जाता है। गाँव में 21 हैंडपंप हैं। अधिकतर हैंडपंप पाइप में छेद और स्प्रिंग टूट जाने के कारण ख़राब हो गये हैं। बाकी बचे हैंडपंप में पूरे साल पानी नहीं रहता है। कुछ गर्मी के मौसम में सूख जाते है। चालू हैंडपंप और बोरवेल का पानी फ्लोराइड से दूषित है। गाँव के नागेला तालाब के पानी से पहले मोटर चलाकर पूरे गाँव को पीने का पानी मिल जाता था। लेकिन पिछले दो साल से पानी देना बंद कर दिया गया है, जबकि तालाब में साल भर पीने और सिंचाई का पानी उपलब्ध रहता है। गर्मी में ना तो पीने को पानी मिल पाता है और ना ही सिंचाई का पानी मिल पाता है।

पानी की कमी और गिरते जल स्तर की जानकारी होने के बावजूद वर्षा जल-संरक्षण करने के विषय की ओर हाल फिलहाल गाँव के लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

पशुपालन संबंधित समस्या

गाँव में दुधारू पशुओ में गाय, भैंस व बकरी और खेती के काम के लिए बैल पाले जाते हैं। चारे की कमी के कारण पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार न मिलने से गाय और भैंस डेढ़ से ढाई लीटर दूध ही देती हैं। इससे केवल घर के लिए ही दूध की आपूर्ति हो पाती है। चारे की कमी के साथ-साथ पशुओ की अच्छी नस्ल का नहीं होना भी दूध कम देने का कारण है। चारागाह की जमीन पर गाँव का कब्ज़ा है। चारागाह की जमीन पहाड़ी ढलान वाली है। ढलान के कारण पशुओं के लिए र्प्याप्त मात्रा में चारा नहीं हो पाता है। बारिश के माह में पैदा हुआ चारा केवल चार या पांच माह ही चल पाता है। उसके पश्चात चारा खरीदना पड़ता है। पशुपालक चारे की एक पुली या गट्ठर सात-आठ रूपये में खरीदते हैं।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य का निम्न स्तर

गाँव में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 3 प्राथमिक विद्यालय, 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 2 माध्यमिक विद्यालय और 1 उच्च माध्यमिक विद्यालय है। विद्यालय भवनों की हालत अच्छी नहीं है। विद्यालयों की छत, फर्श और शौचालयों की मरम्मत की आवश्यकता है। बारिश के दौरान छत से पानी टपकता है और शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है। स्कूल में कमरों और अध्यापकों की कमी है। नियुक्त अध्यापक को अध्यापन कार्य के अतिरिक्त अन्य शासकीय कार्य भी करने पड़ते हैं। विद्यालयों में पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शौचालय में साफ-सफाई का अभाव है। बड़ी कक्षाओ के छात्रों को भी हिंदी का सही उच्चारण नहीं आता है और गणित के सवाल हल करने में समस्या आती है। इन सभी कारणों की वजह से बच्चों का नामांकन कम होता है। स्कूलों के बाहर लगे हैंडपंप के पानी में फ्लोराइड आता है लेकिन अन्य कोई विकल्प ना होने पर बच्चे यही पानी पीते है । कई बच्चे बीच में पढाई छोड़ कर मजदूरी और परिवार की जिम्मेदारी उठाने में लग जाते है । उच्च शिक्षा के लिये गाँव से 22 किमी दूर डूंगरपुर शहर जाना पड़ता है। गाँव में 3 आंगनवाड़िया हैं। तीनों ही जर्जर हालत में हैं और भवन को नया बनाने की आवश्यकता है। बड़ा सरकारी अस्पताल 22 किमी दूर डूंगरपुर में है । बीमारी की गंभीरता को देखते हुए कुछ मरीज उदयपुर या गुजरात भी भेजे जाते हैं। गाँव में पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिये 1 आर.ओ. प्लांट नागेला फले के स्कूल में लगा है।

कृषि एवं खाद्यान्न की स्थिति

गाँव में कृषि, बारिश की तीव्रता और मात्रा पर टिकी हुई है। गाँव में पहली बारिश के साथ ही लोग खेती में जुट जाते है। कई बार तो दो बारिश के बाद हफ्तों तक बारिश नहीं होती है, जिससे जिन लोगो ने बीज बो दिए है, उन्हें नुकसान होने की सम्भावना रहती है। बारिश के मौसम में ही खाने के लिए फसल उगा ली जाती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो जाती है। हालाँकि वहाँ परनाले, तालाब, कुआं, बोरवेल, एनिकट है, लेकिन सभी जल-स्रोत मध्य गर्मी आते-आते सूख जाते हैं। गाँव में भू-जल स्तर 250 फीट नीचे चला गया है। बारिश में नालों का पानी रोकने के लिए चेकडैम नहीं है। जिस कारण पानी नीचे जमीन में जाने के बजाय बह कर निकल जाता है। गाँव में सिंचाई के पानी की व्यवस्था के लिये करीब 15 कुऐं, 2 तालाब और 2 एनिकट हैं। लेकिन कुओं की गहराई कम है, जिस कारण पानी नहीं रहता है और वे सूखे ही रहते हैं। कुओं में और 1 तालाब छोटा और कम गहरा होने से बारिश में ही

पानी रहता है । बाकी अधिकतर गर्मी के मौसम में सूखे ही रहते हैं। एनिकट की ऊँचाई कम है, जिससे पानी का भराव कम होता है। सिचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने के बावजूद गाँव में पीने और सिचाई के पानी की कमी है । क्योंकि जमीनी सतह पर उपलब्ध पानी और भू-जल को अनियंत्रित तरीके से काम में लिया जा रहा है । मनमाने ढंग से भूमिगत जल बोरवेल से खींच लेने के कारण वर्तमान में जमीन में पानी अत्यधिक गहराई में चला गया है । पानी का इसी तरह अत्यधिक दोहन होता रहा और पानी के संरक्षण के प्रति यही उदासीनता बनी रही तो कुछ सालों बाद गाँव में पानी का स्तर और भी अधिक गहराई तक चला जाएगा। जिसके साथ गाँव में पीने तथा कृषि के लिए पानी का बड़ा संकट उत्पन्न हो जायेगा। गाँव में धान, गेहूँ, ज्वार, मक्का, उड़द, तुअर ,चने की खेती की जाती है । खेती से पैदा हुआ अनाज आधे वर्ष तक ही चल पाता है। खेती से होने वाला अनाज पर्याप्त नहीं होने के कारण राशन खरीदना पड़ता है। जिसके लिये सरकारी उचित मूल्य की दुकान गाँव में ही है। राशन की दुकान पर केवल गेहूं मिलता है। गाँव में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन उपलब्ध होने के बाद राशन की दुकान पर मिट्टी का तेल देना बंद कर दिया गया है।

आजीविका एवं रोजगार के साधनों की कमी

गाँव में रोजगार का मुख्य साधन मनरेगा और खेती है । अन्यथा मजदूरी आजीविका चलाने का एकमात्र साधन है। रोजगार की स्थिति काफी खराब है। गाँव के अधिकतर युवा गुजरात राज्य के अहमदाबाद, हिम्मतनगर, सूरत और मोडासा में मजदूरी करने के लिये जाते हैं। कुछ लोग पास के उदयपुर जिले में भी फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तकनीकी ज्ञान के अभाव में लोगों के पास आजीविका का कोई अच्छा विकल्प नहीं है। गाँव में मनरेगा में काम की सही नपती नहीं होने और मस्टररोल में फर्जी नाम जोड़ देने से पूरी मजदूरी नहीं मिलती है। वर्तमान में मनरेगा में मजदूरी 100 रूपये से कम दी जाती है। कुछेक लोगों को काम करने के बाद मस्टररोल के रूपये नहीं मिले हैं। जिसका जवाब माँगने पर पैसा बैंक खातों में स्थानान्तरण की बात कह कर टाल दिया जाता है। पंचायत के द्वारा या सरकारी रोजगार प्रशिक्षण संस्थाओ के द्वारा भी किसी प्रकार के घरेलू उद्योग जैसे दरिया बनाना, अचार या पापड़ बनाना, रस्सी बनाना, कपडे के बैग बनाना या कागज की थैलियाँ बनाना इत्यादि कम खर्च वाले प्रशिक्षण नहीं दिये जा रहे हैं।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं-

संसाधन	हालत	सम्भावना
जल नाला एनिकट तालाब कुआं हैण्डपम्प आर.ओ. प्लांट	गाँव में 2 नाले बहते हैं, जिनमें साल भर पानी नहीं रहता ह । उनपर चेकडैम नहीं बने हैं। 2 एनीकट बने हुए हैं । इनकी ऊँचाई कम है, जिस कारण पानी का संग्रहण कम होता है। दो तालाबों में से 1 तालाब में ही पानी रहता है, जो गर्मी में पशुओ के पीने के काम आता है। बारिश	गाँववासियों के अनुसार यदि नाले के रास्तों में आवश्यकतानुसार पक्के-कच्चे चेकडैम बनाये जाये तो पानी जमीन में उतरेगा। दोनों तालाब को गहरा करवा कर रिंगवाल बने तो ज्यादा समय तक पानी रह सकता है और सिचाई भी पूरी हो सकती है। एनीकट की ऊँचाई बढ़ाकर गहरा

	के तीन महीने तक दोनों तालाबों से गाँव में सिंचाई के लिए और मवेशियों के लिये पानी लिया जाता है। तेज़ गर्मी में मवेशियों के पीने के पानी की समस्या हो जाती है। गाँव में 15 कुओं में से 9 कुएं बंद हैं और 21 हैंडपंप में से 16 हैंडपंप गहरे नही होने और पाइप में छेद होने की वजह से सूखे हैं । जो चालू हैं, उनका पानी भी फ्लोराइड युक्त है।	किया जाये तो पानी पूरे साल मिल सकता है और जमीनी जल का स्तर भी ऊपर उठेगा। खेतों में सिंचाई के लिए पानी की सुविधा हो सकती है। गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊँचा किया जा सकता है। बंद हैंडपंप को चालू करवाना और गाँव में आर.ओ. प्लांट लगवाना ताकि फ्लोराइडमुक्त पेयजल मिल पाए ।
जमीन कृषि भूमि चरागाह जंगल	पूरा गाँव छोटी-छोटी पहाड़ियों पर बसा हुआ है । लोगो ने अपने खेतों के पास ही घर बना रखे हैं। समतल कृषि भूमि राजपूतों और पटेलों के पास है। आदिवासियों के हिस्से की जमीन अधिकतर ऊबड़-खाबड़, पथरीली और छोटी पहाड़ियों वाली जमीन है । जंगल की जमीन बहुत कम बची है और वन विभाग के कब्जे में जाने के बाद जंगल बर्बाद हो गया है। गाँव में चारागाह की जमीन पर गाँव का कब्ज़ा है, जिस पर केवल बरसात में होने वाली घास होती है । जिसे लोग काट कर लाते हैं। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है।	गाँव के ऊबड़-खाबड़ खेतों को 'अपना खेत अपना काम' योजना के तहत समतलीकरण करके उपजाऊ बनाया जा सकता है। गहरे और मरम्मत होने के बाद तालाब, एनिकट से नहर निकाल कर सिंचाई के पानी की कमी पूरी हो सकती है। गाँव की बेकार और खाली जमीन पर फलदार वृक्षारोपण भी किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं। वन भूमि को सामुदायिक करके गाँव सभा के अधीन करना और उसे पुनर्जीवित करके लघुवनोपज ले सकते हैं।
सड़क कच्ची सड़क पक्की सड़क	गाँव में पक्की सड़के हैं जो गाँव को पड़ोस के दूसरे गाँवो से जोड़ती हैं। इसके अलावा 5 सी.सी. और 5 कच्ची सड़के हैं, जो कुछ फलों की कम ऊंचाई की पहाड़ियों में जाती हैं। सड़के टूटी हुई हैं। नालियाँ अधूरी हैं या टूट गयी हैं। पंचायत द्वारा समस्या को जानते हुए भी अनदेखा करना और निजी सवारी वाहन चालकों के मनमाने ढंग से किराया वसूलने से भी गाँव के लोग बहुत परेशान	कच्ची सड़को को सी.सी.सड़को से जोड़ना और पगडण्डी को चौड़ा करना। आसान पहुँच वाले जगहों के लिए सी.सी. सड़कों की संख्या बढाना। टूटी हुई सड़कों को ठीक करना।

	रहते हैं। ज्यादातर घरों तक जाने के लिए पगडण्डिया हैं।	
स्कूल	पंचायत का मुख्य गाँव होने के कारण शिक्षा की दृष्टि से पर्याप्त स्कूल हैं, लेकिन स्कूलों में अव्यवस्था फैली हुई है। स्कूलों की छत से प्लास्टर गिर रहा है और बारिश का पानी टपकता है। खेल का मैदान और शौचालय की स्थिति ठीक नहीं है। स्कूल में कक्षों की कमी है, जिस कारण बच्चे शामिल बैठकर पढाई करते हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में छात्र-छात्राओ के लिए अलग-अलग शौचालय नहीं हैं। उनमे साफ़-सफाई नहीं होती है। स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। जिस कारण स्कूलों में बच्चों का नामांकन भी कम होता है। अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। पीने के लिए बच्चे फ्लोराइड का पानी पीने को बाध्य हैं।	स्कूलों में छत और फर्श की मरम्मत करवाकर अच्छा बनाया जा सकता है। आवश्यकता के हिसाब से नए कमरे बनाये जाये। इसके अलावा स्कूल के शौचालय की भी मरम्मत और पीने के पानी के लिए आर.ओ. की व्यवस्था की जाये। अध्यापकों की नियुक्ति के लिए गाँवसभा में प्रस्ताव लिया गया है ।

गाँव सभा द्वारा चिन्हित मुख्य समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं वरीयता

क्र. सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में 15 कुएं और 21 हैंडपंप है लेकिन आधे से ज्यादा कम गहरे होने और बंद होने के बाद फिर से चालू नहीं किये गये हैं। इस कारण उनमें पानी नहीं आता है। गर्मी में बोरेवेल में भी पानी कम हो जाता है। हैण्डपंप की पाइप और स्प्रिंग ख़राब हो गयी है। गाँव का	जो हैंडपंप ख़राब/बंद हो गये हैं, उनकी मरम्मत करवाना। जिन हैंडपंप में पानी कम आने लगा है, उन्हें गहरा करवाना। कुओं को गहरा करवाना। गाँव में आर.ओ. प्लांट लगवाना ताकि फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए। गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर,	**दीर्घकालिक**

			जलस्तर 250 फीट से नीचे चला गया है। जितने भी पेयजल के चालू स्रोत हैं, उनके पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है, जिससे लोगों को दाँतों और हड्डियों से सम्बंधित बीमारियाँ हो रही हैं।	कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊँचा किया जा सकता है। इसके लिए गाँवसभा द्वारा बैठक में प्रस्ताव भी लिया गया है ।	
2	**शिक्षा सम्बंधित समस्या**	**सार्वजनिक**	स्कूलों की छत से प्लास्टर गिर रहा है और बारिश का पानी टपकता है। खेल का मैदान और शौचालय की स्थिति सही नहीं है । स्कूल में कक्षाओ की कमी है जिस कारण बच्चे शामिल बैठकर पढाई करते हैं। स्कूलों में छात्र-छात्राओ के लिए अलग-अलग शौचालय नहीं है। उनमें साफ़ सफाई नहीं होती है। स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। जिस कारण स्कूलों में बच्चों का नामांकन भी कम होता है। बच्चे फ्लोराइडयुक्त पानी पीने को बाध्य हैं।	नियुक्त अध्यापकों को समय पर आने के लिए पाबंद किया जाना चाहिये। और अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिये। स्कूलों की छत की मरम्मत होनी चाहिये और पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिए आर. ओ. प्लांट लगना चाहिये। नये अध्यापन कक्ष बनने चाहिये। खेल का मैदान और छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय बने और उनमे पानी की सुविधा होनी चाहिये।	तात्कालिक
3	**कृषि संबंधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गाँव की कृषि योग्य उपलब्ध भूमि ऊबड़-खाबड़ पथरीली और पहाड़ी ढलान वाली है। सिंचाई के लिए तालाब, एनिकट, कुओं का पानी मध्य ग्रीष्म ऋतु में	खेतों को गाँव सभा द्वारा प्रस्ताव लेकर अपना खेत-अपना काम योजना के अंतर्गत समतलीकरण, बारिश के पानी को रोकने के लिए खेतों की मेड़बंदी	**तात्कालिक**

			ही सूख जाता है। बोरवेल से पानी खींच लेने के कारण पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है।	तथा कच्चे चेकडैम का निर्माण। सभी जल-संसाधनों को सुरक्षित करके उनमे पानी की ग्रहण क्षमता बढ़ाना। घर और खेतों में पानी को रोकने के लिए टाके (पक्के खड्डे) बनवाना। बोरवेल का उपयोग कम करना ताकि कुओं का जलस्तर ऊपर उठे। इससे सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी।	
4	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	पंचायत और सरकारी अनदेखी की वजह से गाँव में टूटी हुई सी.सी. सड़कों की मरम्मत नहीं हुई या उनका पुनर्निर्माण नहीं हुआ । 5 कच्ची सड़कें हैं। गाँव में फलों में आने-जाने के लिए ज्यादातर पगडण्डिया ही हैं। रास्तो के अभाव में सबसे ज्यादा तकलीफ बुजुर्गो, महिलाओं और बच्चो को होती है।	अभी हाल ही में जो गाँव सभा में प्रस्ताव लिखे गये हैं, उनमे जहाँ रास्ते नहीं हैं, वहाँ सड़क निर्माण के प्रस्ताव लिए गए हैं। कच्ची सड़क को सी.सी. सड़क में बदलना। पगडण्डियों को चौड़ा करना। टूटी हुई सी.सी. रोड़ को ठीक करना चाहिए।	**तात्कालिक**
5	**सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्विति ना होना**	**व्यक्तिगत**	गाँव में सरकारी योजनाओं के लागू होने और उसके अच्छे परिणामो में सबसे बड़ी अड़चन जन प्रतिनिधित्व का भ्रष्टाचार में लिप्त होना है। कुछ लोगों के आवास, शौचालय बन गये हैं, लेकिन उनकी भुगतान राशि अटकी हुई	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेंशन का	**तात्कालिक**

			है। गाँव में जिन लोगों को आवास की बेहद जरूरत है, उनके आवास नहीं बनने का कारण दिया जाता है कि उनका नाम बी.पी.एल. की सूची में नहीं है। पेंशन में समस्या यह है कि गाँव में सरकारी कागजातों में उम्र अलग-अलग होने से भी लोगों की पेंशन बंद है।	भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	
6	**काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा और जंगल पर सामुदायिक वन दावा नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	गाँव में जंगल की जमीन है लेकिन गाँव की सामुदायिक दावा फाइल नहीं लगी है। काबिज व्यक्तिगत भूमि का सभी लोगों को अधिकार पत्र नहीं मिला है, जबकि सभी लोगो ने व्यक्तिगत दावे की फाइल राजस्व विभाग में लगा रखी है। कुछेक फाइल रिटर्न भी आ गयी है। अभी ज्यादातर फाइल्स फिर से तैयार की जा रही हैं।	जमा करायी गयी फाइल की वर्तमान स्थिति का पता करना और उसकी पैरवी करना। बची हुई व्यक्ति दावों की फाइल तैयार करवाकर जमा करवाना।	
7	**खाद्य सुरक्षा का पूरा लाभ नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	गाँव में राशन की दुकान है लेकिन अक्सर पॉस मशीन में फिंगरप्रिंट न मिलना या इन्टरनेट से कनेक्टिविटी न होने की समस्या आती रहती है। अनाज में केवल गेहूँ दिया जाता है।	जिन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, उनके नाम योजना में जुड़वाने के लिए गाँव सभा में प्रस्ताव लेना और ऐसे स्थान पर दुकान स्थानान्तरित करना, जहाँ कनेक्टीविटी की समस्या नहीं रहती है।	**तात्कालिक**

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - कच्चे रास्ते सी.सी. सड़क पक्की सड़कें जमीन की उपलब्धता	कच्चे रास्ते को सी.सी. सड़क में नहीं बदलना। सी.सी. सड़कों की संख्या नहीं बढ़ाना और टूटे हुए रास्तों को ठीक नहीं करवाना। रास्तों का निर्माण मानक के अनुसार न होना।	रास्तों की सुविधा होने से स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता के स्तर में सुधार आ सकता है। लोगों को आने-जाने में समय की बचत होगी।	गाँव सभा कमेटी का मजबूती से काम नहीं करना। पंचायत की उदासीनता और समस्या को लेकर अधिक से अधिक लोगो का गाँव सभा में नहीं आना। पंचायत के भ्रष्टाचार को खतम करना।
जल नाला तालाब एनिकट कुआं बोरवेल हैंड पंप आर.ओ. प्लांट की उपलब्धता	गाँव में 2 नाले, 2 तालाब और 2 एनिकट बने हैं, लेकिन गर्मी में पानी सूख जाने से संकट हो जाता है। कुओं को रिचार्ज करने की व्यवस्था नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए जल संरक्षण के बारे में गाँव के लोगों में जागरूकता का न होना। 21 हैंडपंप में से अधिकतर में पानी का न होना। कम गहरे होने के कारण और भू-जल स्तर नीचे जाने पर कुओं का सूख जाना।	नालों पर चेक डैम निर्माण। जल संरक्षण के लिए घरों के बाहर पक्की टंकी का निर्माण करवाना, जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। तालाब को गहरा करना और एनिकट के बाँध की ऊंचाई बढ़ाकर गहरा करना। बोरवेल का उपयोग कम करके कुओं से पानी निकालना।	पंचायत द्वारा पानी की समस्या से निपटने की किसी योजना का नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता। सरकारी योजना और मौसम पर अधिक निर्भर रहना।
आजीविका के साधन मनरेगा में काम कृषि भूमि, पशु, खाली पड़ी जमीन की	गाँवमें रोजगार के साधन का अभाव। कृषि भूमि और उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव। तकनीकी शिक्षा का अभाव। मनरेगा में पूरा भुगतान नहीं	गाँव में खाली पड़ी पहाड़ियों पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, सब्जी की खेती और घरेलु उद्योग से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं। पंचायत के द्वारा	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन का अभाव। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की

उपलब्धता	होना।	लघु उद्योग, बागवानी और अन्य कोई मशीन रिपेयरिंग प्रशिक्षण।	कमी। मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक। बागवानी के लिए पानी की व्यवस्था।
भूमि की उपलब्धता	लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना। जमीन के पट्टे ना होना। गाँव की खाली पड़ी जमीन का प्रयोग नहीं होना। सिंचाई की सुविधा नहीं मिलना।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति वर्मी कम्पोस्ट और जैविक खाद से बढ़ाना। गाँव की सार्वजनिक खाली पड़ी जमीन पर फलदार वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सिंचाई का अभाव। खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

- **नजरिया नक्शा**

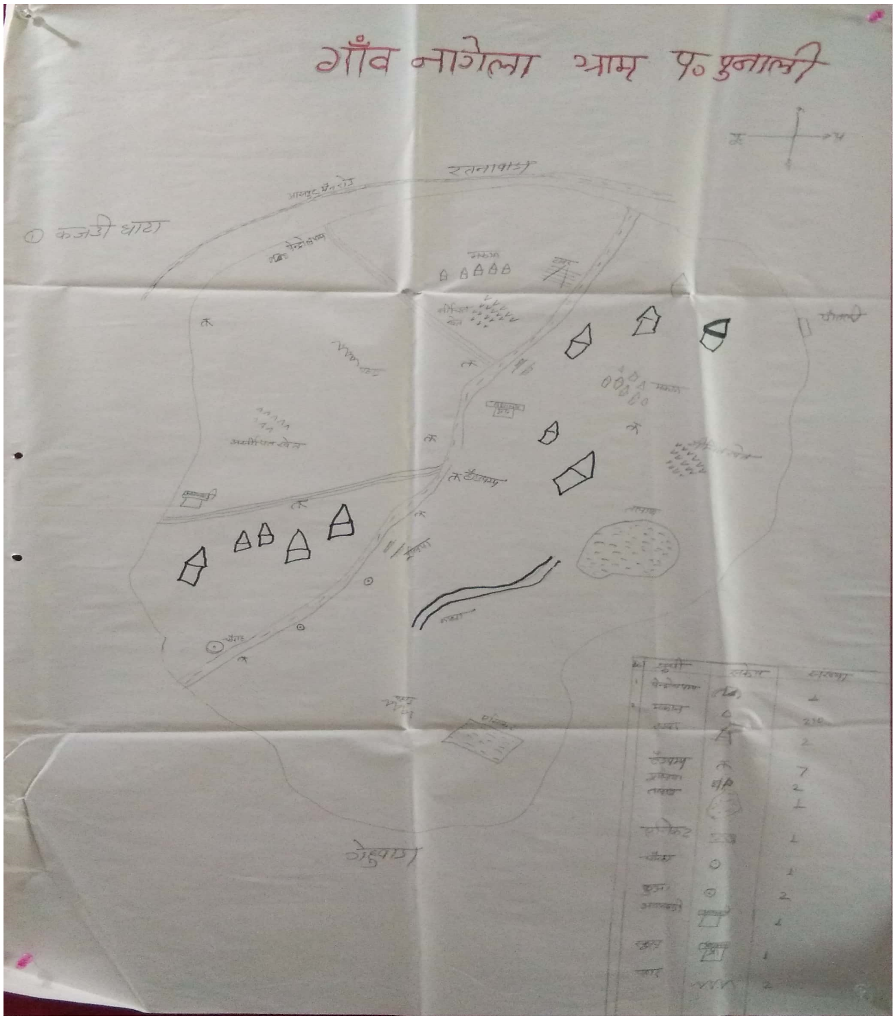

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

प्रस्तावित कार्य	संख्या
पेंशन के संबंध में वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन विकलांग पेंशन पालनहार पेंशन	 20 2 4 3
पीएम आवास	21
शौचालय बकाया भुगतान	8
विद्यालय के संबंध में रा. प्रा. विद्यालय नागेला फला में चार अध्यापकों की नियुक्ति छत मरम्मत	2
आंगनवाड़ी मरम्मत होली वाली डूंगरी आंगनवाड़ी	1
सामुदायिक भवन निर्माण होली वाली डूंगरी के पास उप-स्वास्थ्य केंद्र निर्माण होली वाली डूंगरी के पास	1 1
हैंडपंप के संबंध में नए हैंडपंप हैंडपंप मरम्मत	 7 3
आर. ओ. प्लांट के संबंध में	3
सिंचाई के लिए नागेला तालाब में लिफ्ट लगाने के संबंध में	1
चेक डैम निर्माण	14
केटेगरी 4 के कार्य	22
रास्ता निर्माण सीसी सड़क	 6
शमशान घाट के संबंध में परकोटा निर्माण व समतलीकरण कमरा निर्माण	2
आपसी विवाद निपटारा	1
सामजिक कुरीतियों बाल श्रम बाल विवाह डायन प्रथा मौताणा पर रोक के संबंध में	1
काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा के संबंध में	1
चारागाह भूमि से अवैध कब्ज़ा हटाने के संबंध में	1

➢ **गाँव विकास प्रस्ताव**

प्रस्ताव जमा करते हुए गाँव सभा के सदस्य

सेवा में ,

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत ......पुनाली......

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है। इसके अनुसार धारा 3(ग) (I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है। हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम पुनाली (नागेला)

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान विकास अधिकारी ....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ....
4. निजी रिकॉर्ड

शाही   मरीयम

प्रस्ताव कवरिंग लेटर

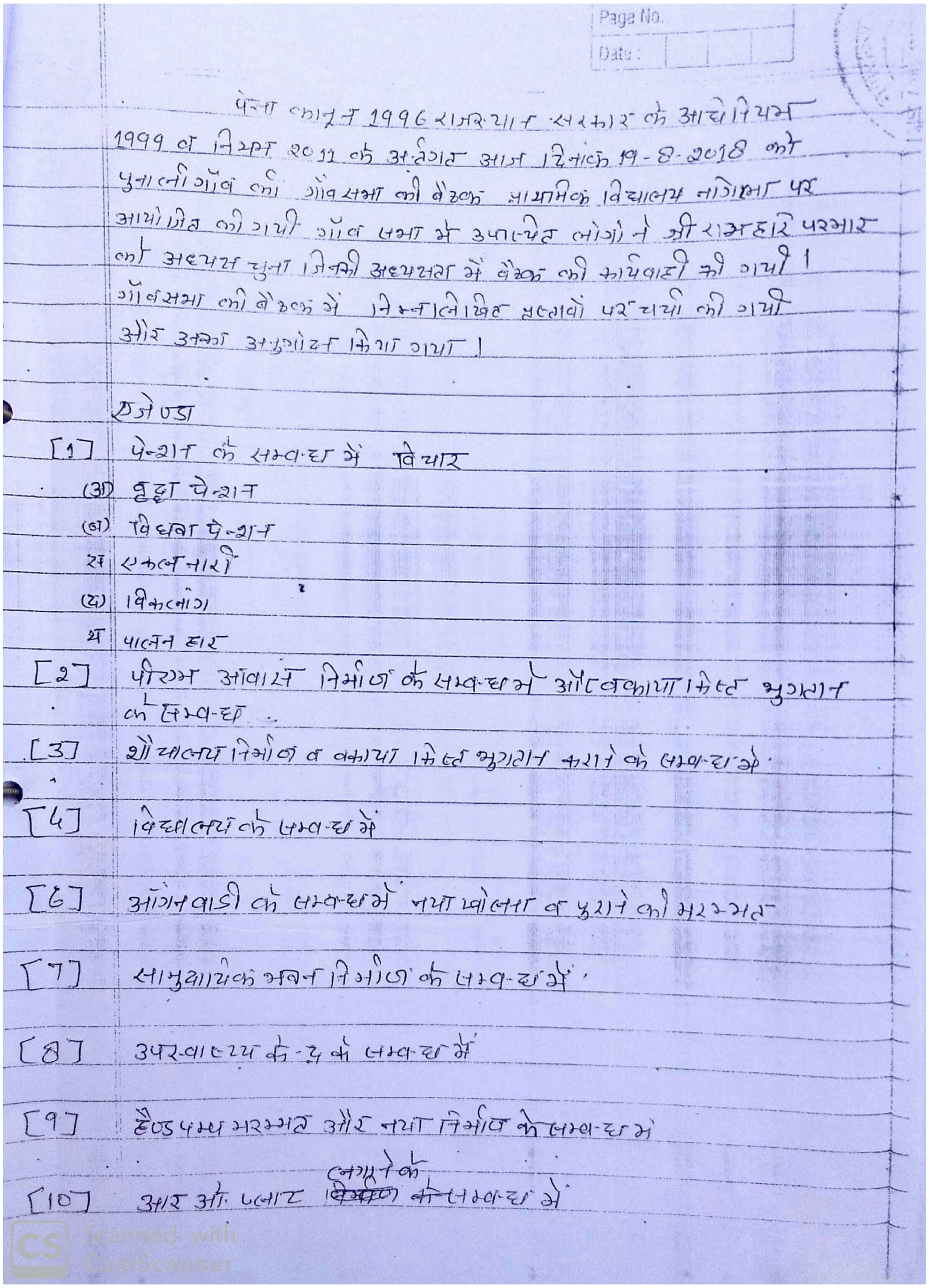

Page No.
Date :

पेसा कानून 1996 राजस्थान सरकार के अधिनियम 1999 व नियम 2011 के अंतर्गत आज दिनांक 19-8-2018 को पुनाली गाँव की गाँव सभा की बैठक प्राथमिक विद्यालय नागोआ पर आयोजित की गयी गाँव सभा में उपस्थित लोगों ने श्री रामहरि परमार को अध्यक्ष चुना जिनकी अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही की गयी। गाँवसभा की बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा की गयी और उनका अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा

[1] पेन्शन के सम्बन्ध में विचार

(अ) वृद्धा पेन्शन

(ब) विधवा पेन्शन

स एकल नारी

(द) विकलांग

य पालनहार

[2] पीएम आवास निर्माण के सम्बन्ध में और बकाया किश्त भुगतान के सम्बन्ध

[3] शौचालय निर्माण व बकाया किश्त भुगतान कराने के सम्बन्ध में

[4] विद्यालय के सम्बन्ध में

[6] आंगनवाड़ी के सम्बन्ध में नया खोलना व पुराने की मरम्मत

[7] सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में

[8] उपस्वास्थ्य केन्द्र के सम्बन्ध में

[9] हैण्डपम्प मरम्मत और नया निर्माण के सम्बन्ध में

[10] आर ओ. प्लाट ~~[illegible]~~ जमीन के सम्बन्ध मे

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव प्रथम पृष्ठ

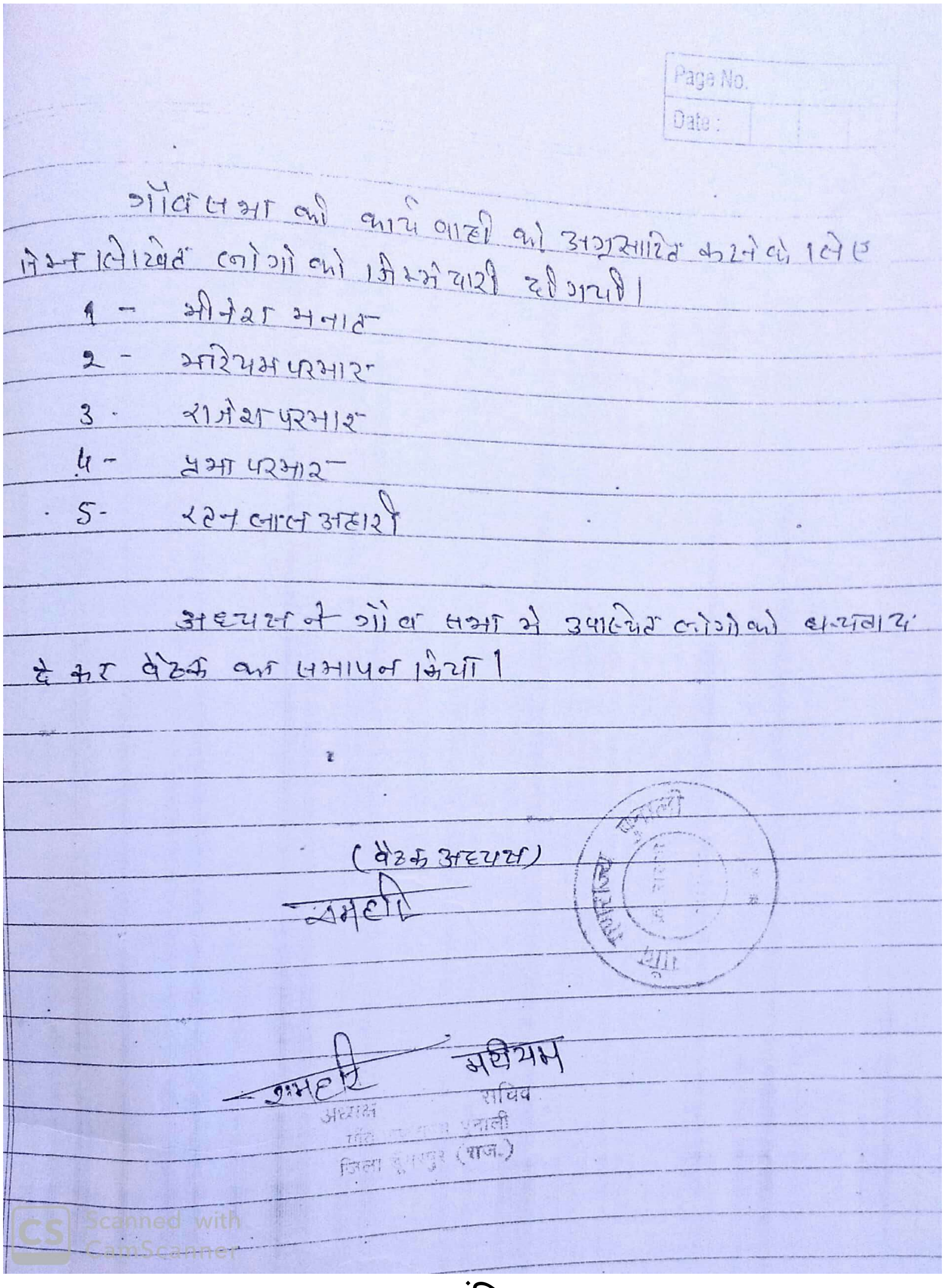

Page No.
Date :

गाँव सभा की कार्यवाही को अग्रसारित करने के लिए निम्न लिखित लोगों को जिम्मेदारी दी गयी।

1 - भीमेश मनात
2 - मरियम परमार
3 - राजेश परमार
4 - प्रभा परमार
5 - रतन लाल अहारी

अध्यक्ष ने गाँव सभा में उपस्थित लोगों को धन्यवाद दे कर बैठक का समापन किया।

(बैठक अध्यक्ष)

अध्यक्ष — सचिव

जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रस्ताव अंतिम पृष्ठ

विलेज प्लैनिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी)

1. पीयूष परमार
2. महेंद्र / पूंजीलाल